मध्य प्रदेश के चीनी के मासिक कोटे को बढ़ाया जाना

1623. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) राज्य-वार उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर कितनी कितनी चीनी उपलब्ध करायी जा रही है ;

(ख) क्या वितरण में कोई एकरूपता रखी गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को चीनी के मासिक कोटा का आवंटन अक्तूबर, 1986 में अनुमानित राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की वर्तमान जनसंख्या और उसके हितों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार से चीनी के मासिक कोटे और प्रति इकाई कोटे को बढ़ाने का अनुरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और मध्य प्रदेश सरकार को चीनी का बढ़ा हुआ कोटा कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 1-10-86 की अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मापदण्ड के आधार पर लेवी चीनी का आवंटन करती है । इसके अलावा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अगस्त, 1991 से लेवी चीनी के आवंटन में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की गई है । किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर, लेवी चीनी सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का अन्तर्जिला, अन्तः क्षेत्रीय, शहरी और ग्रामीण इलाकों में आवंटन और वितरण करने का निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है ।

(घ) और (ङ) : राज्य सरकारों, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, से लेवी चीनी का मासिक कोटा बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं । मध्य प्रदेश सरकार को लेवी चीनी का 26283 मी० टन मासिक कोटा (अगस्त, 1991 से की गई 5% तदर्थ वृद्धि सहित) आवंटित किया जाता है । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार को चीनी का 7,536 मी० टन त्यौहार कोटा दिया गया है । लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिनमें मध्य प्रदेश शामिल है, लेवी चीनी का मासिक कोटा बढ़ाना संभव नहीं समझा जाता ।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खर्च में कटौती

1624. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मितव्ययता के उपायों के रूप में कटौती करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) उपयुक्त उपायों को कार्यान्वित करके अब तक कितनी बचत की गई है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : खर्च में किफायत बरतने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें पदों को समाप्त करना, यात्रा भत्तों के खर्चों में कमी करना, टेलीफोन वापस करना इत्यादि शामिल हैं ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इस मंत्रालय के गैर-योजना व्यय में लगभग 40 लाख रु० की बचत की गई थी ।